



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 28.02.2023

दुष्कर्म के मामले में 02 अभियुक्तों 20-20 वर्ष की सजा

थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 19/2016 धारा-363, 366, 376-D भा0द0वि0 व 6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. गोविन्द राजभर पुत्र बनारसी निवासी शंकरपुर, थाना चौबेपुर, वाराणसी व 2. सुनील पुत्र लालजी निवासी दामोदरपुर छाहीं, थाना सारनाथ, वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो-I जनपद वाराणसी द्वारा अन्तर्गत धारा 363,366,376-D,34 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 20 – 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50 – 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी